

कोल समुदाय का सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य

25

डॉ. गौतम बनर्जी*

सारांश

मध्य भारत की प्रायः सभी जनजातियाँ प्रोटो-आस्ट्रेलवायड प्रजाति लक्षणों को प्रस्तुत करती हैं। इनका एक प्रतिनिधि समूह— 'कोलारियन' प्रकार कहा गया है। कोलारियन के अन्तर्गत मुण्डा, हो, सन्थाल, जुआँग आदि आते हैं। 'कोल' इसी प्रजाति समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका मुख्य आवास क्षेत्र मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश के आँचलिक क्षेत्र हैं। कोल जनजाति पर एकमात्र ग्रिफीथ की पुस्तक 1946 में प्रकाशित हुई थी। यह मध्य भारत के कोल का आदर्श जीवन प्रस्तुत करता है।

उत्तर प्रदेश के कोल

यह उल्लेखनीय तथ्य है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोल जनसमूह को "अनुसूचित जाति" की श्रेणी में रखा है। अन्य राज्यों ने (जैसे मध्य प्रदेश, बिहार) इसे अनुसूचित जनजाति माना है। उत्तर प्रदेश में इनकी जनसंख्या 1971 वर्ष में 135617 थी जो 1981 में बढ़कर 151818 हो गयी। (जनगणना अनुपलब्ध है)

कोल क्षेत्र

कोल उत्तर प्रदेश के दक्षिण और दक्षिण पूर्वी जिलों जैसे इलाहाबाद, मिर्जापुर, बाँदा और वाराणसी में निवास करते हैं। इलाहाबाद में इनकी जनसंख्या सबसे अधिक है। इलाहाबाद जिले के जिन इलाकों में कोल सबसे ज्यादा है वे हैं: करछना और मेजा तहसील के शंकरगढ़, जसरा और कोराँव विकासखण्ड।

भाषा

कोल की मूल भाषा के लाक्षणिक तत्त्व विलुप्त हो गये हैं। अब इन्होंने स्थानीय भाषा हिन्दी के अन्तर्गत विभिन्न बोलियों को ग्रहण कर लिया है। कोल और गैर-कोल की बोलियों में कोई स्पष्ट अन्तर नहीं किया जा सकता है। वे पड़ोसी हिन्दी भाषी क्षेत्रों की बोलियों को अच्छी तरह से समझते हैं और बोलते हैं।

शिक्षा

यद्यपि कोल स्थानीय समूह के साथ घुलमिल गये हैं फिर भी, इनकी शिक्षा दर न्यूनतम है। इस सम्बन्ध में जनगणना पुस्तिका में कोई आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इलाहाबाद के शंकरगढ़, करछना और मेजा क्षेत्र के 15 गाँवों के खेत्रीय अध्ययन से जो तथ्य सामने आये हैं उनसे यह प्रतीत होता है कि कोल समुदाय के कुछ ही लोग पढ़े-लिखे हैं, परन्तु यह पढ़ाई सिर्फ एक या दो कक्षाओं तक ही हुई है। अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण साक्षरता अभियान से ये बिल्कुल दूर रहे हैं।

*एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, साहू जैन कॉलेज, नजीबाबाद (बिजनौर)

कोल की उत्पत्ति

कुद ब्रिटिश अधिकारियों जैसे हरबर्ट रिजले, डाल्टन आदि द्वारा लिखित सरकारी प्रतिवेदनों में इनकी उत्पत्ति के सम्बन्ध में कुछ किंवदंतियों का वर्णन है। जैसे यह कहा गया है कि कोल चन्द्रवंशी राजा के पाँच में से एक है या ये सेवरी के वंशज है। इन सबों की चर्चा यहाँ अनावश्यक है। इस शोध पत्र में हमारा मुख्य उद्देश्य इनकी सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक विशेषताओं को समझना है। अन्त में हम इनकी मुख्य समस्याओं की चर्चा करेंगे।

सामाजिक संगठन

कोल जनजाति उपवर्गों में बँटी है। प्रत्येक उपवर्ग अन्तर्विवाही होता है। एक क्षेत्र विशेष में एक ही उपवर्ग वाले अधिक संख्या में रहते हैं, कुछ अर्थों में इनकी सामाजिक और धार्मिक विशेषताएँ भिन्न हैं। ये उपवर्ग हिन्दू जाति के उपवर्गों जैसे सोपानीकृत होते हैं, उदाहरणार्थ, ठकुरिया, रौतिया, रौतेल, देसह, भरिया, खगवरिया और बुड़वर। शंकरगढ़ क्षेत्र में ठकुरिया अधिक संख्या में है। ठकुरिया समूह वाले यह जानते हैं कि अन्य क्षेत्रों में ठकुरिया कोल कहाँ रहते हैं, क्योंकि उनके साथ इनका वैवाहिक सम्बन्ध रहता है।

कोल समाज पितृवंशीय तथा पितृस्थानिक होता है। दूसरे शब्दों में वंश की परम्परा पुरुष (पिता) से चलती है। विवाह के बाद पिता के समूह में ही पुत्र रहते हैं। पुत्रियाँ विवाह के बाद अपने पति के समूह में चली जाती हैं।

कुल समूह व परिवार

जब कई एक परिवार के सदस्य परस्पर सम्बन्धित होते हैं और एक ही स्थान पर रहते हैं तो "कुलसमूह" का निर्माण होता है। ध्यान में रहे इस समूह में केवल वे सदस्य ही सम्मिलित होंगे, जिनकी सदस्यता जन्म से है। अर्थात् भाईयों की पत्नियाँ और बहनों के पति कुल समूह में नहीं सम्मिलित होंगे। अर्थात् कोल जनजाति में कुल समूह का रूप बहुत ही कमजोर है, क्योंकि पिछले 50-50 वर्षों से दयनीय आर्थिक स्थिति के कारण एक ही स्थान पर सभी भाई एक साथ नहीं रह पाते हैं। इसी कारण वर्तमान समय में कोल लघु परिवारों में रहते हैं, जिसे 'दम्पति परिवार' भी कहा गया है।

क्षेत्रीय अध्ययन के दौरान यह पाया गया कि प्रत्येक गाँव की कोल बस्तियाँ सामाजिक समूहों में बँटी हुई हैं और एक ही वंश के व्यक्ति अलग-अलग सामाजिक समूहों (परिवारों के) में रहते हैं। कभी-कभी कुल समूह के वंशीय व्यक्ति की महत्वपूर्ण अवसरों पर सलाह ली जाती है। पुरुष (पिता) परिवार का मुखिया होता है।

गोत्र

कई एक सम्बन्धित कुल समूह मिलकर गोत्र का निर्माण करते हैं। गोत्र बहिर्विवाही होता है। ऐसा माना जा सकता है कि आरम्भ में इन गोत्रों का नाम रहता होगा किन्तु कोल अब अपने गोत्रों के नाम बताने में असमर्थ है। कोल समाज के विभिन्न उप समूहों को साधारणतया 'कुरही' कहा जाता है जो अन्तर्विवाही होते हैं। कुरही गोत्र नहीं होता वरन् एक कुरही में अनेक गोत्र हो सकते हैं। एक क्षेत्र विशेष के कोल बहिर्विवाही होते हैं, यानि एक ही

गाँव के परिवारों के बीच वैवाहिक सम्बन्ध नहीं होते हैं। तथापि क्षेत्रीय कार्य के दौरान लगीग 20-25 वैवाहिक सम्बन्ध खेत्र अन्तर्विवाही वाले पाये जाते हैं।

विवाह

“क्षेत्र बहिर्विवाही नियम” के प्रचलन के कारण विवाह सम्बन्ध दूसरे गाँव में परन्तु उसी समूह (कुरही) में स्थापित किये जाते हैं। विवाह सम्बन्धी सभी रीति-रिवाज प्रायः हिन्दू रीति-रिवाजों की तरह ही होते हैं। यह हिन्दू धर्म का ही प्रभाव है कि कोल में बाल विवाह भी प्रचलित है। विवाह परिवार के बड़े-बूढ़ों द्वारा परस्पर बातचीत के जरिये तय होता है। कोल जनजाति इस मायने में दूसरी जनजातियों से भिन्न है, क्योंकि अधिकतर जनजातियों में बाल विवाह का प्रचलन नहीं है।

धर्म

कोल हिन्दू रीति-रिवाज मानते हैं व इनके नाम भी हिन्दुओं जैसे ही होते हैं। त्यौहारों तथा अन्य सामाजिक कार्यों में भी हिन्दू धर्म का प्रभाव स्पष्ट झलकता है। दैनिक जीवन में अंधविश्वासों का महत्वपूर्ण स्थान है। शकुन या अपशकुन, मुहुर्त आदि में भी बहुत अधिक विश्वास है। ये लोग ज्योतिष विज्ञान तथा कुण्डली आदि को भी मानते हैं, किन्तु उनकी गूढ़ता को समझ नहीं पाते हैं।

कोल के देवी-देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण स्थान ‘लाखन’ का है। वे ‘बिरम्ही’ देवी की पूजा जादू की देवी मानकर करते हैं। ‘सेवरी’ की पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान राम ने उसके घर बेर खाये थे। ‘चिथड़िया’ वीर भी इनके एक विशिष्ट देव है। अन्य जनजातियों की तरह ये भी गाँव में एक स्थान विशेष की पूजा करते हैं।

आर्थिक जीवन

कोलों की अर्थव्यवस्था तेन्दु पत्ता, पत्थर और कृषक मजदूर के इर्द-गिर्द घूमती रहती है। इनकी मुख्य आजीविका तेन्दु या बीड़ी पत्ता एकत्र करना, छाँटना और बण्डल बनाना, पत्थर तोड़ना और दूसरों के खेतों में मजदूरी करना है। मजदूरी के बदले में इन्हें अन्न मिलता है। अन्य आर्थिक क्रियाकलापों में सिलिका बालू धोना और जुगल से लकड़ी और महुवा एकत्र कर बाजार में बेचना प्रमुख है। कभी-कभार ये लोग सड़क निर्माण या इसी तरह के अन्य कार्यों में दैनिक मजदूरी का काम करते हैं। कुछ आसपास के कस्बों या शहरों में बेलदारी करते हैं या रिक्शा, ठेला चलाते हैं। कालीन उद्योग में भी कोल (विशेषकर मेजा तहसील) अक्सर मजदूरी करते हैं। बच्चों की नाजूक अंगुलियाँ महीन कालीन बुनने में विशेष सहायक होती हैं। इसलिये कालीन उद्योग में बच्चों को बुनायी का काम मिल जाता है। इन बच्चों में कोल बच्चे भी शामिल हैं।

इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। ये लोग बड़ी विपन्नता का जीवन जी रहे हैं, इस स्थिति में शिक्षा के बारे में तो यह सोच भी नहीं सकते। इनके घर भी फूस की छत वाले होते हैं, दीवारें पत्थर, मिट्टी या बाँस जो भी आस-पास सहज में उपलब्ध हो उसका उपयोग होता है। दरवाजे लकड़ी या बाँस के होते हैं। कहीं-कहीं कुछ कोल परिवारों के पक्के मकान जनजातीय कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत मिलने वाली अनुदान राशि का फल है।

राजनैतिक संगठन

अन्तर्पारिवारिक झगड़ों जैसे परपुरुष गमन, पर स्त्री पलायन, लड़ाई-झगड़, परम्परागत नियमों को नहीं मानना आदि का निबटारा जातीय स्तर पर करते हैं। यदि इनका झगड़ा पड़ोसी गैर-कोल जातियों से हुआ तो यह मसला ग्राम पंचायत द्वारा तय किया जाता है। आधुनिक अपराधजन्य परिस्थितियों में पुलिस इन्हें कोर्ट में भी पहुँचा देती है। कोल में बिरादरी पंचायत प्रथा अभी भी प्रचलित है और समय-समय पर बिरादरी की सभा बुलाई जाती है। बिरादरी पंचायत में "कुरही" के वरीय सदस्य भाग लेते हैं।

कपड़े तथा आभूषण

आमतौर पर नंग बदन रहते हैं और लुंगी और लंगोट आदि पहनते हैं। स्त्रियाँ साड़ी पहनती हैं, रंग-बिरंगे कपड़े और खूबसूरत पच्चीकारी जिसके लिए जनजातीय समाज प्रसिद्ध है उसका कोल में सर्वथा अभाव है।

साधारणतया कोल पुरुष आभूषण नहीं पहनते। वे गले या बाँह पर ताबीज या अन्य जंतर पहनते हैं जो शृंगार न होकर धार्मिक या अंधविश्वासी प्रवृत्तियों का प्रतीक है। कोल महिलाएँ शृंगार करती हैं। वे कड़ा, हँसुली, कंगन आदि पहनना चाहती हैं, परन्तु आर्थिक तंगी के कारण यह उपलब्ध नहीं हो पाता। विवाहित स्त्रियाँ सिन्दूर का इस्तेमाल करती हैं। गोदना की प्रथा भी इनके बीच अपना धार्मिक महत्व खो चुकी है। कभी-कभार किसी मेले आदि में कुछ लोग गोदना करवा लेते हैं, परन्तु यह केवल सजावट मात्र के लिए ही होता है।

समस्याएँ

कोल कठिनाई भरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण इनकी आर्थिक विपन्नता है इनकी समस्याएँ दो हैं: आर्थिक तथा सामाजिक। मुख्य समस्या आर्थिक है। निम्न सामाजिक स्तर अशिक्षा आदि आर्थिक पहलू का विस्तार है। आर्थिक के अन्तर्गत कम मजदूरी राशि मिलना, ऋण ग्रस्तता तथा नियमित रोजगार की समस्या है।

अधिकांश कोल परिवार भूमिहीन हैं। मौसमी श्रमिक मजदूर और बंधुआ मजदूर के रूप में अभी भी कोल जीवनयापन कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में दैनिक समाचार पत्रों में कोल जनजाति के शोषण सम्बन्धी समाचार प्रकाशित हुए हैं।

कोल के कल्याण के लिए सरकारी कार्यक्रम और उनकी उपलब्धि

भारत के संविधान के लागू होने के समय उत्तर प्रदेश की 66 जातियों का 'अनुसूचित जाति' घोषित किया गया, जिनमें दक्षिण उत्तर प्रदेश की 13 जनजातियाँ भी शामिल थीं। आज भी ये तेरह समूह 'अनुसूचित जाति' के अधीन आती हैं और सरकारी कार्यक्रमों में इन्हें अन्य अनुसूचित जातियों के समान ही लाभ मिलता है।

विकास कार्यक्रमों का कोल पर क्या प्रभाव पड़ा? इसे जानने के लिए श्री अमीर हसन (1993) ने बाँदा जिले के मानिकपुर विकास खण्ड के आँकड़ों का अवलोकन कर कुछ तथ्य प्रस्तुत किया जो इस प्रकार है—

1. प्रथम व द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि तक कोल विकास कार्यक्रमों के विषय में कुछ भी नहीं जानते थे और विकास कार्यक्रमों का इन्हें कोई लाभ नहीं मिला था।
2. पशुपालन के लिए वितरित लाखों रुपयों में से कोल को एक रुपया भी नहीं मिला था, यानि एक ळी कोल इस योजना से लाभान्वित नहीं हो पाये।
3. विकास खण्ड के महिला कल्याण कार्यक्रमों से कोल महिलाओं को कोई लाभ नहीं पहुँचा था।
4. लघु उद्योग विकास कार्यक्रमों का भी इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था।
5. प्रथम व द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में एक भी कोल साक्षर नहीं हो पाया था और तीसरी योजना अवधि में मानिकपुर विकास खण्ड से एक कोल को साक्षरता अभियान के अन्तर्गत साक्षर बनाया गया था।

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में 37.48 लाख रुपये स्पष्ट रूप से कोल के विकास के लिए आवंटित थे। इस योजना में इनके लिए जो विकास कार्यक्रम बनाये गये, वे हैं—

1. आश्रत पद्धति विद्यालयों की स्थापना
2. गाँव में सड़कों का निर्माण और
3. कृषि, लघु उद्योग एवं आवास के लिए ऋण व अनुदान। परन्तु इन सभी कार्यक्रमों पर इस योजना अवधि में सिर्फ 18.01 लाख रुपये खर्च किये गये।

छठी योजना में गैर-अनूसूचित जनजाति के लिए 155 लाख रुपये आवंटित थे, जिनमें दो पुराने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया था। ये पुराने कार्यक्रम थे: 'कोल का विकास' और 'आश्रम पद्धति विद्यालय'।

1980 वर्ष में 12 जिले के 36 विकास खण्ड जिनमें 'अनूसूचित जाति' जनसंख्या 40 प्रतिशत या उससे अधिक थी, विशेष संघटक योजना (Special Component Plan) के अन्तर्गत विशेष विकास कार्यक्रमों के लिए चयन किये गये। इलाहाबाद जिले के मेजा तथा शंकरगढ़ विकास खण्ड इसी श्रेणी के अन्तर्गत रखे गये। इसी जिले का कोरॉव विकास खण्ड इस श्रेणी में वर्ष 1982 में सम्मिलित कर लिया गया।

1976 से प्रयाग चित्रकूट कृषि एवं गोधन विकास निगम, बाँदा जिले के कोल क्षेत्र में कार्य कर रहा है। निगम द्वारा संपादित मुख्य कार्यक्रम है, सामाजिक वानिकी और पशुधन विकास। ये सभी कार्यक्रम 'सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट' तथा 'भारतीय एग्रो इण्डस्ट्रीज निगम' के सहयोग से चलाये जा रहे हैं।

संदर्भ

1. Chatterjee, B.K. (1947). "Racial Components of the Tribal Population of India", Proceedings of the Indian Science Congress, Part III, 34, (Delhi): pp. 146-70.
2. Crooke, W. (1975). The Tribes and Castes of the North-Western Indian (Calcutta : Government Printing Press, 1896; rpt 1975, Delhi : Cosmo Publication), Vol. III

3. (1985). Government of Madhya Pradesh, Madhya Pradesh Ke Adivasi Sanskriti Aur Vikas (in Hindi) (Bhopal : Department of Information and Publication).
4. Griffiths, Walter, G. (1946). The Kol Tribes of Central India (Calcutta : Royal Asiatic Society of Bengal).
5. Jha, J.C. (1964). Kol Insurrection in Chota Nagpur (Calcutta : Thacker & Spinks).
6. Majumdar, D.N. (1933). "Disease, Death and Divination in Certain Primitive Societies in Indian", Man in India, 13 (2-3): pp. **115-49**.
7. Mishra, U.C. (1989). Tribal Paintings and Sculptures (Delhi : B.R. Publishing Corporation).
8. Negi, R.S. (1976). "Sickle Cell Trait Distribution in India", Ph.D. Thes. (Calcutta : Calcutta University) (Unpublished).
9. Russell, R.V. and Lal, Hira. (1975). The Tribes and Castes of the Central Provinces of India (London : Macmillan and Company, 1916, rpt. 1975, Delhi : Cosmo Publication), Vol. III: pp. **501-19**.
10. Singh, K.S. (1985). Tribal Society in India : An Anthropo-Historical Perspective (Delhi : Manohar Publications).